दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार एवं दिल्ली सरकार का एक संयुक्त उद्‌यम)

<u>निविदा का नाम</u> : डीएमआरसी नेटवर्क की लाइन संख्या 7 पर चुनिंदा मेट्रो स्टेशनों के भीतर मजलिस पार्क से शिव विहार (दिल्ली कैंट, सर विश्वेश्वरैया मोती बाग, भीकाजीकामा प्लेस, आईएनए, साउथ एक्सटेंशन, आश्रम, आईपी एक्सटेंशन को छोड़कर) तक तथा लाइन संख्या 8 पर जनकपुरी वेस्ट से बॉटेनिकल गार्डन (टर्मिनल 1 आईजीआई एयरपोर्ट, आईआईटी, पंचशील पार्क, ग्रेटर कैलाश, ओखला एनएसआईसी, सुखदेव विहार, ओखला बर्ड सैंचुरी को छोड़कर) तक अनन्य विज्ञापन अधिकार प्रदान करने के लिए निविदा।

निविदा संख्या: डीएमआरसी/पीबी/4177-80001/आईडी

निविदा/बोली आमंत्रण सूचना

1.1 डीएमआरसी निविदा दस्तावेज के अनुलग्नक- **1ए एवं 1बी** के अनुसार डीएमआरसी नेटवर्क की लाइन संख्या 7 पर चुनिंदा मेट्रो स्टेशनों के भीतर मजलिश पार्क से शिव विहार (डीएलआईसी, एसवीएमबी, बीकेसीपी, आईएनए, एसओईएन, एएचआरएम एवं आईपीई को छोड़कर) तक तथा लाइन संख्या 8 पर जनकपुरी वेस्ट से बॉटेनिकल गार्डन (आईजीडीए, आईआईटी, पीएसपीके, जीकेईएल, ओकेएनएस, आईडबल्यूएनआर एवं ओबीसी को छोड़कर) तक अनन्य विज्ञापन अधिकारों का लाइसेंस प्रदान करने के लिए प्रतिष्ठित विज्ञापन एजेंसियों से जो एकल प्रोप्राइटरशिप फर्म, साझेदारी फर्म या कंपनी अधिनियम 1956/2013 के अंतर्गत निगमित कंपनी हो जिसका भारत में पंजीकृत कार्यालय हो, या ऐसी निकायों का संयुक्त उद्‌यम हो, उनसे खुली ई-निविदाएं आमंत्रित करती है।

1.2 बोलीदाताओं का कोई हित विरोध न होगा जिससे कि बोली प्रक्रिया प्रभावित हो। कोई बोलीदाता जिसका हित विरोध होने का पता चलता है उसे अयोग्य माना जाएगा। यदि एक बोलीदाता दूसरे बोलीदाता का भी एक घटक है तो बोली प्रक्रिया को प्रभावित करने में उसका हित विरोध माना जाएगा।

1.3 डीएमआरसी इस निविदा दस्दावेज के अनुसरण में बोलियां (ई-निविदा) प्राप्त करेगी जो इसमें उल्लिखित शर्तों के अनुरुप हो और डीएमआरसी द्‌वारा समय-समय पर यथा आशोधित, परिवर्तित, संशोधित और स्पष्ट की गई हों। बोलीदाता इस प्रयोजन के लिए ऐसी शर्तों के अनुरुप इस दस्तावेज में निर्धारित तिथि को या उससे पहले बोलियां प्रस्तुत करेंगे। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे डीएमआरसी स्टेशनों/स्थलों पर जाएं और इस संबंध में प्रस्तावित व्यवस्थाओं और आवश्यक सभी क्रियाकलापों से स्वयं को अवगत कराएं।

1.4 बोली प्रक्रिया की मुख्य विशेषताएं:

1.4.1 ई-निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए बोलीदाताओं को ई-निविदा पोर्टल https://eprocure.gov.in/eprocure/app पर पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण करने पर, निविदाकार को यूजर आईडी एवं पासवर्ड मिलेगा जिससे वह डिजिटल सिस्टम सर्टिफिकेट का प्रयोग कर अपनी बोली ऑनलाइन जमा कर सकेगा और बोली प्रक्रिया के विभिन्न क्रियाकलापों को देख सकेगा। इच्छुक बोली लगाने वाले के पास प्राधिकृत हस्ताक्षरी के मुख्तारनामा (पॉवर आफ एटॉर्नी) के अनुसार, विधिमान्य श्रेणी-II या श्रेणी-III डिजिटल हस्ताक्षर होना चाहिए। निविदा दस्तावेज को केवल प्राधिकृत हस्ताक्षरी के श्रेणी-II या III डिजिटल हस्ताक्षर का प्रयोग करके डाउनलोड या अपलोड किया जा सकता है। यदि आवश्यक हो तो संभावित बोलीदाता को "ऑनलाइन निविदा प्रक्रिया" का प्रशिक्षण दिया जा सकता है।

1.4.2 डीएमआरसी ने दो अलग-अलग समय सारणियां के अंतर्गत डीएमआरसी नेटवर्क की लाइन संख्या 7 पर चुनिंदा मेट्रो स्टेशनों के भीतर मजलिश पार्क से शिव विहार (डीएलआईसी, एसवीएमबी, बीकेसीपी, आईएनए, एसओईएन, एएचआरएम एवं आईपीई को छोड़कर) तक तथा लाइन संख्या 8 पर जनकपुरी वेस्ट से बॉटेनिकल गार्डन (आईजीडीए, आईआईटी, पीएसपीके, जीकेईएल, ओकेएनएस, आईडबल्यूएनआर एवं ओबीसी को छोड़कर) तक अनन्य विज्ञापन अधिकार प्रदान करने के लिए उपयुक्त उच्चतम बोलीदाताओं के चयन हेतु दो पैकेट बोली प्रक्रिया अपनाई है।

1.4.3 अनुलग्नक- **1ए एवं 1बी** के अनुरूप बोलीदाताओं को प्रत्येक समय सारणी के लिए अलग-अलग लाइन अर्थात लाइन-7 एवं लाइन-8 के लिए बोली देनी होगी। ऐसे मामले में जहां बोलीदाता दो लाइनों की बोली लगाता है तो उससे केवल एक निविदा दस्तावेज की लागत प्रभार्य की जाएगी। हालांकि बोली प्रतिभूति एवं अन्य प्रभार यदि कोई हो तो, लाइन-7 एवं लाइन-8 के लिए अलग से देय होंगे। लाइन-7 एवं लाइन-8 के लिए संविदा, प्राप्त दर के अनुसार अलग-अलग बोलीदाताओं को दी जाएगी।

1.4.4 बोली प्रक्रिया की समय सारणी:-

1.	निविदा दस्तावेज की लागत (अप्रतिदेय)	23,600 रूपये (20,000 रुपये + 18 प्रतिशत जीएसटी) ''दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड'' के पक्ष में नई दिल्ली में देय डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के रूप में निविदा दस्तावेजों की लागत स्वीकार की जाएगी।
2.	बोली प्रतिभूति	20,00,000 रुपये (बीस लाख रुपये मात्र)- लाइन-7 के लिए 15,00,000 रुपये (पंद्रह लाख रुपये मात्र) - लाइन-8 के लिए
3.	निविदा दस्तावेज की बिक्री (केवल ऑनलाइन)	ई-निविदा वेबसाइट https://eprocure.gov.in/eprocure/app पर तारीख 22/11/2017 से 21/12/2017 (15.00 बजे तक)
4.	बोली पूर्व बैठक	दिनांक 04.12.2017 को अपराह्न 3 बजे, मेट्रो भवन में
5.	डीएमआरसी द्वारा लिखित पृच्छाओं	07.12.2017 को सायं 5 बजे तक

	प्राप्त करने की अंतिम तारीख	
6.	डीएमआरसी द्वारा इन पृच्छाओं का उत्तर देने की समय-सीमा	तारीख 14.12.2017 तक
7.	बोली (ई-निविदा) प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख एवं समय (केवल ऑनलाइन)	21.12.2017 को 17:00 बजे तक
8.	ऑनलाइन तकनीकी बोलियां खोलने की तारीख एवं समय	22.12.2017 को 15.00 बजे
9.	बोली की विधिमान्यता	बोली प्रस्तुत करने की तारीख से 180 दिन तक
10.	निविदा दस्तावेज की लागत और बोली प्रतिभूति राशि को भौतिक रूप में प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकारी एवं स्थान	उप मुख्य अभियंता/संपत्ति व्यवसाय का कार्यालय, चतुर्थ तल, बी विंग, मेट्रो भवन, फायर ब्रिगेड लेन, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001

1.4.5 निविदा दस्तावेज की लागत एवं बोली प्रतिभूति 'दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड'' के पक्ष में नई दिल्ली में देय डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के रूप में एवं अनुसूचित वाणिज्य बैंक द्वारा निर्गत स्वीकार की जाएगी। **निविदा दस्तावेज की लागत और बोली प्रतिभूति राशि को मूल रुप में निविदा दस्तावेज की बिक्री की अंतिम तारीख से पूर्व 15:00 बजे तक या इससे पहले उप मुख्य अभियंता/संपत्ति व्यवसाय,चतुर्थ तल, बी विंग, मेट्रो भवन, फायर ब्रिगेड लेन, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001 के पास अवश्य जमा कराएं।** जो बोलीदाता निविदा दस्तावेज की लागत एवं एवं बोली प्रतिभूति को मूल रुप में निर्दिष्ट तारीख एवं समय पर जमा कराने में असफल होते हैं उन्हें अयोग्य घोषित किया जाएगा एवं उनके द्वारा प्रस्तुत बोली सरसरी तौर पर रद्द कर दी जाएगी। बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख से 180 दिन से अनधिक अवधि तक बोली विधिमान्य होगी।

1.4.6 बोली लगाने वालों से अपेक्षा की जाती है कि वे लाइसेंस करार किए जाने के लिए अपनी-अपनी बोलियां प्रस्तुत करने से पहले अपनी लागत पर डीएमआरसी परिसरों का व्यापक सर्वेक्षण एवं विश्लेषण करें। डीएमआरसी इस संबंध में संभावित बोली लगाने वालों को आवश्यक अनुमति एवं सहायता प्रदान करेगी।

1.4.7 निविदा दस्तावेज में यथा उल्लिखित अनिवार्य स्केन किए गए दस्तावेजों के रूप में निविदा दस्तावेज लागत, बोली प्रतिभूति एवं अन्य दस्तावेज को अपलोड करने के पश्चात बोली ऑनलाइन प्रस्तुत करनी होगी।

1.4.8 बोली प्रस्तुत करने में सभी अपलोड फाइलों का समुचित नाम एवं व्यवस्थित क्रम होना चाहिए। अपलोडेड फाइल के नाम में कोई विशेष अक्षर /स्पेस नहीं होना चाहिए।

1.4.9 बोली प्रस्तुत करने की नियत तारीख एवं समय के बाद प्राप्त बोली किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं होगी।

1.4.10 यदि बोली संयुक्त उद्यम/कंसोर्टियम द्वारा प्रस्तुत की गई हो तो उसके सभी सदस्यों को निम्मलिखित का पालन करना होगा:-

(i) कंसोर्टियम के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ, टर्नओवर में प्रत्येक सदस्य के अंशदान को कंसोर्टियम में उनकी इक्विटी भागीदारी के अनुपात में विचार में लिया जाएगा।

(ii) संयुक्त उद्यम (जेवी)/ कंसोर्टियम का प्रमुख सदस्य लाइसेंस करार की पूरी अवधि के दौरान संयुक्त उद्यम / कंसोर्टियम की कुल अंशधारिता (शेयरहोल्डिंग) का न्यूनतम 51 प्रतिशत अंश (शेयर) रखेगा।

(iii) डीएमआरसी के पूर्व अनुमोदन के बिना संयुक्त उद्यम / कंसोर्टियम के सदस्यों के पण (स्टेक) के प्रतिशत में किसी परिवर्तन को संविदा का तात्विक भंग तथा लाइसेंसधारी की चूक मानी जाएगी और डीएमआरसी प्रतिभूति जमा/कार्य निष्पादन प्रतिभूति को भुनाने और या 30 दिनों के नोटिस के बाद ऐसे करार को रद्द करने के लिए हकदार हो जाएगी।

(iv) लाइसेंस अवधि (लॉक-इन अवधि सहित) के दौरान संयुक्त उद्यम/कंसोर्टियम में किसी सदस्य के पण (स्टेक) का न्यूनतम प्रतिशत 15 प्रतिशत से कम नहीं होगा।

(v) 26 प्रतिशत से कम भागीदारी वाले पार्टनरों को महत्वपूर्ण पार्टनर नहीं माना जाएगा तथा उनके मूल्यांकन पर विचार नहीं किया जाएगा जिसका अर्थ है कि संयुक्त उद्यम / कंसोर्टियम के मूल्यांकन के लिए उनकी पात्रता पर विचार नहीं किया जाएगा।

(vi) ऐसे निकाय के सभी सदस्य लाइसेंस करार के कार्य निष्पादन के लिए संयुक्त रूप से तथा अलग-अलग उत्तरदायी होंगे।

(vii) कंसोर्टियम के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ, टर्नओवर में प्रत्येक सदस्य के अंशदान को कंसोर्टियम में उनकी इक्विटी भागीदारी के अनुपात में विचार में लिया जाएगा।
(उदाहरण : मान लें कि यदि संयुक्त उद्यम/कंसोर्टियम के 'ए' और 'बी' दो सदस्य हैं। 'ए' के पास संयुक्त उद्यम में 70 प्रतिशत इक्विटी और 'बी' के पास 30 प्रतिशत इक्विटी है। ऐसी स्थिति में 'ए' के कुल टर्नओवर के 70 प्रतिशत तथा 'बी' के कुल टर्नओवर के 30 प्रतिशत को संयुक्त उद्यम की पात्रता के मूल्यांकन के लिए हिसाब में लिया जाएगा।

1.5 <u>बोलीदाता के लिए पात्रता मापदंड</u>

1.5.1 बोलीदाता और या उनकी होल्डिंग कंपनियां/या अन्य सहायक कंपनियां जो विज्ञापन व्यवसाय में लगी हैं और उसी होल्डिंग कंपनी से नियंत्रित होती हैं, उनके पास लाइन-7 के लिए अनुलग्नक 1ए एवं लाइन 8 के लिए के अनुलग्नक 1बी के अनुसार पिछले तीन 3 वित्तीय वर्ष के लेखापरीक्षित विवरणों /(अर्थात् 2014-15, 2015-16, 2016-17) में न्यूनतम वार्षिक औसत सकल टर्नओवर 8.10 करोड़ रु. तथा 5.10 करोड़ रु. होना चाहिए जिसे चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा अपने स्टाम्प एवं हस्ताक्षर से सत्यापित किया गया हो। (अर्थात ऊपर उल्लिखित पिछले तीन वित्तीय वर्षों में कुल सकल टर्नओवर 24.30 करोड़ रुपये लाइन-7 के लिए तथा 15.30 करोड़ रुपये लाइन-8 के लिए हो) यहां सकल टर्न ओवर का आशय है केवल विज्ञापन व्यवसाय के सभी सेक्टरों से टर्नओवर। बोलीदाता ऊपर उल्लिखित विगत तीन वर्षो के लाभ- हानि लेखा सहित लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण अपलोड करेंगे।

यदि अद्यतन वित्तीय वर्ष का लेखा परीक्षित तुलन-पत्र उपलब्ध नहीं है तो बोली दाताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे वित्तीय वर्ष 2016-14,2014-15 एवं 2015-16 के वित्तीय विवरण/रिपोर्ट चार्टेड एकाउंटेंट के शपथ पत्र और प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करें जिसमें यह सम्यक रूप से सत्यापित किया गया हो कि वित्तीय वर्ष 2016-17 का तुलन पत्र अभी लेखा परीक्षित नहीं हुआ है।

1.5.2 ऊपर उल्लिखित पात्रता मापदंड के प्रयोजनार्थ बोली लगाने वाली निकायों जिनमें होल्डिंग कंपनियां और या अन्य समूह सहायक कंपनियां जो विज्ञापन व्यवसाय में लगी हैं और उसी होल्डिंग कंपनी से नियंत्रित की जा रही हैं, चाहे वे भारतीय या विदेशी हों उनका टर्नओवर है विचारणीय होगा।

1.5.3 यदि बोलीदाता होल्डिंग कंपनी अथवा सहायक कंपनी होने की वजह से पात्रता मापदंड को पूरा करता है और वह स्वयं इसके लिए सक्षम नहीं है तो उसे बैंक गारंटी/डिमांड ड्राफ्ट के रुप में 6 महीने के लाइसेंस शुल्क के बराबर अतिरिक्त सुरक्षा राशि जमा करानी होगी। यह संविदा की शर्तों के अनुसार अपेक्षित नियमित प्रतिभूति राशि के अतिरिक्त होगी।

1.5.4 ऐसे सभी मामलों में जहां बोलीदाता अपनी होल्डिंग कंपनी या अन्य समूह सहायक कंपनी की पात्रता मानदंड के प्रय़ोजनार्थ वित्तीय विवरण प्रस्तुत करता है, तो संबंधित होल्डिंग कंपनी और/अथवा सहायक कंपनी को मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ वित्तीय आंकडें प्रस्तुत करने हेतु एक सहमति पत्र /वचनवद्ध प्रस्तुत करना होगा तथा बोली दस्तावेज के नियम एवं शर्त के अनुसार निर्दिष्ट प्ररूप में स्वीकृति प्रस्तुत करनी होगी।

1.5.5 बोलीदाता जो अपनी नियंत्रक कंपनी और या अन्य समूह सहायक कंपनियों के टर्नओवर को शामिल करके प्रस्तुत करना चाहते हैं और ये उसी होल्डिंग कंपनी से नियंत्रित होती हों और जो विज्ञापन के कारोबार में भी लगी हैं उनकी पात्रता के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ वे जिनके वित्तीय विवरण प्रस्तुत किए गए हैं और विज्ञापन के कारोबार में लगी हुई होल्डिंग कंपनी और उसकी अन्य समूह सहायक कंपनियों के बीच नियंत्रण हित के प्रमाण स्वरुप स्पष्ट दस्तावेजी प्रमाण भी प्रस्तुत करेंगे। बोलीदाता एक भारतीय निकाय होनी चाहिए हालांकि होल्डिंग कंपनी और इसकी विज्ञापन व्यवसाय में लगी अन्य समूह सहायक कंपनी जिनका वित्तीय विवरण पात्रता मूल्यांकन हेतु शामिल किए गए हैं वे विदेशी कंपनियां हो सकती हैं।

1.5.6 यदि सफल बोलीदाता (एच1) स्वीकृति पत्र की शर्तों को स्वीकार करने में और/या इसके अंतर्गत होने वाले देय भुगतान करने में असफल रहता है तो इस प्रकार का बोलीदाता और/उनकी होल्डिंग कंपनियां और/या अन्य सहायक कंपनियां जो विज्ञापन व्यवसाय का संचालन कर रही हैं और उसमें लगी हैं और वे उसी होल्डिंग कंपनी से नियंत्रित होती हों जहां पर ऐसे वित्तीय विवरणों का उपयोग किया जाता है औऱ पात्रता के मूल्यांकन के प्रय़ोजन हेतु प्रस्तुत किए जाते हैं उन्हें इस प्रकार की चूक के लिए डीएमआरसी के साथ व्यवसाय करने हेतु एक वर्ष की अवधि के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। ऐसे मामलों में डीएमआरसी का निर्णय अंतिम होगा।

1.6 निविदा प्रस्तुत करने की तारीख की स्थिति के अनुसार डीएमआरसी/ अन्य मेट्रो संगठन (100% सरकारी स्वामित्व वाली)/आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय/वाण्जियिक मंत्रालय के आदेश जो सभी मंत्रालयों पर लागू हैं उनके द्वारा निविदाकार के साथ (संयुक्त उद्यम के मामले में किसी सदस्य) या /इसकी होल्डिंग या सहायक कंपनियों के साथ व्यवसाय प्रतिबंधित किया गया नहीं होना चाहिए यदि उनके वित्तीय विवरण निविदा प्रस्तुत करने की तारीख को निविदा दस्तावेज के अनुसार पात्रता के मूल्यांकन के प्रय़ोजनार्थ उपयोग किए गए हों। बोलीदाता को निविदा दस्तावेज के अनुलग्नक 11 में इस आशय का वचनबंध प्रस्तुत करना चाहिए।

1.7 तथापि बोलीदाता का या उसके साथ या उसकी होल्डिंग या सहायक कंपनी के साथ की गई संविदा यदि उनके वित्तीय विवरण (निविदा दस्तावेज के अनुसार) पात्रता के मूल्यांकन के प्रय़ोजनार्थ उपयोग में लाए गए हों और ऐसी संविदा या तो स्वयं अपने नाम से या एक संयुक्त उद्यम/कंसोर्टियम

के नाम में की गई हो और विगत तीन वर्षों के दौरान (निविदा प्रस्तुत करने के पिछले महीने की अंतिम दिन से) ठेका देने के पश्चात डीएमआरसी द्वारा बोलीदाता या संयुक्त उद्यम/कंसोर्टियम के किसी सदस्य के गैर-निष्पादन के कारण समाप्त या खंडित की गई हो। बोलीदाता को निविदा दस्तावेज के अनुलग्नक 11 में इस आशय का वचनबंध प्रस्तुत करना चाहिए।

1.8 बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे संपूर्ण जानकारी के लिए निविदा दस्तावेज का अवलोकन करें। बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि वे अद्यतन सूचना के लिए ई-निविदा पोर्टल https://eprocure.gov.in/eprocure/app को देखते रहें।

नोट:- निविदा आमंत्रण सूचना, हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनो रुपों में डीएमआरसी वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके हिन्दी और अंग्रेजी पाठों के मध्य किसी भी विसंगति की स्थित में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

1.9 इस निविदा के संबंध में किसी शिकायत के मामले में कृपया निम्न से संपर्क करें :

1. **महाप्रबंधक/सम्पत्ति व्यवसाय**
दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटिड
दूसरा तल, ए विंग, मेट्रो भवन, फायर ब्रिगेड लेन
बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-1100001,
ई-मेल आई डी : baljit_1085@dmrc.org दूरभाष : 011-23418417

2. **मुख्य सतर्कता अधिकारी**
दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटिड
प्रथम तल, ए विंग, मेट्रो भवन, फायर ब्रिगेड लेन
बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-1100001,
ई-मेल आई डी : cvodmrc@gmail.com , दूरभाष : 011-23418406
वेबसाइट :http://www.delhimetrorail.com/vigilance.aspx

महाप्रबंधक/सम्पत्ति व्यवसाय
दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(नोट:- हिन्दी पाठ में किसी विसंगति की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।)